पत्र संख्या-स्था0-3(ख)-वा0चा0 / विशेष अवकाश / चालक संघ / 2024-2025// 554 //राज्य कर,

कार्यालय-आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश

(स्थापना अराजपत्रित अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: 09 मई,2024

1- समस्त अपर आयुक्त ग्रेड-1, राज्य कर, उत्तर प्रदेश।

2- समस्त अपर आयुक्त ग्रेड-2(वि0अनु0शा0), राज्य कर, उत्तर प्रदेश।

3- समस्त संयुक्त आयुक्त (प्रशिक्षण केन्द्र), राज्य कर, गोमती नगर लखनऊ।

4- समस्त संयुक्त आयुक्त (कार्य0)/(वि0अनु0शा0), राज्य कर, उत्तर प्रदेश।

5- समस्त उपायुक्त (प्रशासन), राज्य कर, उत्तर प्रदेश।

6- समस्त सहायक आयुक्त (ए), राज्य कर, उत्तर प्रदेश।

7- समस्त आहरण वितरण अधिकारी, राज्य कर, उत्तर प्रदेश।

विषयः-उत्तर प्रदेश राजकीय वाहन चालक संघ राज्य कर का दिनांक 14-06-2024 व 15-06-2024 को होने वाले प्रान्तीय संघ के अधिवेशन के संबंध में।

राजकीय वाहन चालक संघ, राज्य कर, उत्तर प्रदेश के प्रान्तीय महामन्त्री श्री सूरज कुमार यादव ने पत्र संख्या 159 दिनांक 03-05-2024 द्वारा सूचित किया है कि प्रान्तीय चालक संघ का अधिवेशन / चुनाव सर्वसम्मति से दिनांक 14 व 15 जून 2024 को जनपद गोरखपुर में होना सुनिश्चित हुआ है। संघ द्वारा अधिवेशन के लिए दिनांक 14-06-2024 व 15-06-2024 दो दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

अतः उपरोक्त संबंध में आयुक्त, राज्य कर उत्तर प्रदेश द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि शासनादेश दिनांक 30-06-2014 की शर्तों के अधीन अधिवेशन में सम्मिलित होने वाले संघ के सदस्य वाहन चालकों को दिनांक 14-06-2024 व 15-06-2024 के लिए विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत का प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर उक्त दो दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत कर दिया जायें।

(डा0 सुनील कुमार वर्मा)
अपर आयुक्त (प्रशासन) राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन प0सं0 व दिनांक-उक्त।

प्रतिलिपिः-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- अध्यक्ष / महामन्त्री, राजकीय वाहन चालक संघ, राज्य कर, उत्तर प्रदेश।

2- संयुक्त आयुक्त (आई0टी0) राज्य कर, मुख्यालय लखनऊ को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

3- नाजिर वाहन, राज्य कर, मुख्यालय।

(प्रबल कुमार)
संयुक्त आयुक्त (स्था0अराज0) राज्य कर,
मुख्यालय लखनऊ।

DC(IT)
09/05/2024

542